2014/00005

न्यायालय जिला कलक्टर,बाड़मेर कोर्ट कैम्प गुड़ामालानी

पीठासीन अधिकारी–श्री सुधीर कुमार शर्मा आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 10/2014

अपीलांट

रामाराम पुत्र हेमाराम जाति जाट निवासी बुढे का तला तहसील गुड़ामालानी

बनाम्

रेस्पोडेंट्स

1.पेमाराम पुत्र लालाराम
2.पाबुराम पुत्र हेमाराम
3.पीराराम पुत्र दलाराम
4.कानाराम पुत्र दलाराम
5.मुस्मात गवरी बेवा दलाराम
6.मांगाराम पुत्र दुर्गाराम
जाति जाट निवासी बुढे का तला व औकातिया तला तहसील गुड़ामालानी
7.तहसीलदार,गुड़ामालानी

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्व आदेश दिनांक 02.04.2012 द्वारा तहसीलदार,गुड़ामालानी

उपस्थितः–1. अपीलांट मय अधिवक्ता श्री पवनगिरी उपस्थित।
2. रेस्पोडेंट संख्या 01 व 03 उपस्थित ,02,04 से 06 अनुपस्थित।
3.श्री जोधसिंह तहसीलदार गुड़ामालानी रेस्पोडेंट संख्या 7 की ओर से।

आदेश दिनांक 30.05.2016

1. संक्षेप में अपीलांट की अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 01 से 6 की संयुक्त खातेदारी की भूमि खेत खसरा नम्बर 456 रकबा 109 बीघा 03 विस्वा ग्राम बूढे का तला एंव खसरा नम्बर 136, 197,210,211,212,225 कुल रकबा 92 बीघा 18 विस्वा ग्राम औकातिया में आई हुई है। पक्षकारान खातेदारान आपसी सहमति से मौके पर अपने–अपने हिस्से के अनुसार विभाजन कर काश्त करते आ रहे है तथा अपने–अपने हिस्सों में आवासीय ढाणीये बनी हुई है। अपीलांट एंव रेस्पोडेंट संख्या 01 से 06 ने अपनी उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से विभाजन करने हेतु तहसीलदार,गुड़ामालानी के समक्ष आवेदन पत्र मय एग्रीमेंट पेश किया। जिस पर तहसीलदार गुड़ामालानी ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.04.2012 द्वारा पक्षकारान की आपसी सहमति का प्रार्थना पत्र स्वीकृत कर दिया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी

जिला कलक्टर
बाड़मेर

अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है। अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश का पूर्व में ज्ञान नहीं होने से जानकारी की तिथि से अपील को अंदर मयाद सुमार करने का निवेदन किया। अपीलांट ने अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एंव शपथ पत्र भी पेश किया गया।

2. हमने अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पोडेंटस को सम्मन किये एंव अपीलाधीन पत्रावली तलबी।

3. पत्रावली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राजस्व कैम्प कोर्ट गुड़ामालानी में प्रस्तुत हुई, जिसके लिये उभय पक्ष के अभिभाषकगण व पक्षकारों को नोटिस की तामील करा दी गई थी। अपीलांट एंव रेसपोडेंट संख्या 01 व 03 उपस्थित रहे।रेस्पोडेंट संख्या 02,04 से 06 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित रहे।अपीलांट के अधिवक्ता उपस्थित रहे रेस्पोडेंटस संख्या 07 की ओर से तहसीलदार गुड़ामालानी उपस्थित रहे।

4. हमने उभय पक्ष को सुना। आदेश व अपीलाधीन रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार,गुड़ामालानी द्वारा बंटवाड़ा आदेश दिनांक 02.04.2012को स्वीकृत करने के विरूद्ध पेश की है। मौजा बूढे का तला के खसरा नम्बर 456 रकबा 109 बीघा 03 विस्वा एंव मौजा औकातियाका तला के खसरा नम्बर 136,197,210,211,212,225 कुल रकबा 92 बीघा 18 विस्वा अपीलांट व रेस्पोडेंट्स की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। अपीलांट एंव रेस्पोडेंट संख्या 01 से 06 ने अपनी उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से विभाजन करने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी के समक्ष आवेदन पत्र मय एग्रीमेंट पेश किया। उक्त सहमति से विभाजन के बंटवाड़ा में कब्जे को लेकर पक्षकारान के मध्य विवाद बना हुआ है और मौके पर बंटवाड़ा अनुसार कब्जा न होकर भिन्न प्रकार से कब्जा है अर्थात् विभाजन आदेश पक्षकारान के भौतिक कब्जे काश्त के अनुसार नहीं है। पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा, अपील में अंकित तथ्यो एवं लोक अदालत की भावना को ध्यान में रखते हुए, जिस तरह से पक्षकारान का मौके पर कब्जा काश्त है,उसी अनुसार पक्षकारान ने मौके पर कब्जा काश्त अनुसार बंटवाडा करने में सहमति जाहिर की है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, गुड़ामालानी ने विभाजन विलेख स्वीकृत करने से पूर्व रेकर्ड, मौके की स्थिति की सही जॉच नहीं की। जिसके अभाव में अपीलाधीन आदेश को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट ने अपील के साथ देरी से प्रस्तुत करने बाबत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

के तहत प्रार्थना पत्र एंव शपथ पत्र पेश किया है जो अपील के तथ्यों को देखते हुए स्वीकार किये जाने योग्य है जो स्वीकार किया जाकर अपील अंदर मियाद सुमार की जाती है।

5. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.04.2012को अपास्त किया जाता है, और मामला तहसीलदार,गुड़ामालानी को इस निर्देश के साथ प्रति–प्रेषित किया जाता है कि पक्षकारान के मौके पर कब्जे काश्त अनुसार पुनः विधिवत आदेश पारित करें।

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

आदेश खुले न्यायालय कैम्प कोर्ट गुड़ामालानी में आज दिनांक 30.05.2016 को सुनाया गया।

जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर